299

संख्या–760 /XV-2/01(01)/2006 (डेरी)

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु,
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 27 जुलाई, 2012

विषय– वित्तीय वर्ष 2012–13 में डेरी विभाग को आयोजनेत्तर में वचनवद्ध मदों में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक–740–41/लेखा–आयोजनेत्तर प्रस्ताव/2012–13, दिनांक 06–07–2012 के संदर्भ में एवं शासन के पत्र संख्या–371/XV-II/01(01)/2006(डेरी), दिनॉक 25–4–12 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में आयोजनेत्तर में डेरी विकास विभाग को वचनवद्ध की निम्नलिखित मदों में कुल धनराशि ₹ 31234 हजार (₹ तीन करोड़ बारह लाख चौतीस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि ₹ हजार में)

मद संख्या एवं मद का नाम	धनराशि
01–वेतन	17333
03–महगाई भत्ता	11787
06–अन्य भत्ते	1907
09–विद्युत देय	27
10–जलकर/जल प्रभार	13
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	67
17–किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	100
योग–	**31234**

(कुल धनराशि ₹ तीन करोड़ बारह लाख चौतीस हजार मात्र)

1. निदेशक, डेरी द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट कर पॉच दिवस के भीतर जिलास्तरीय अधिकारियों को एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
2. निदेशक, डेरी द्वारा बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अनुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एव दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासनिक विभाग एव वित्त विभाग को प्रत्येक माह की अगली 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। धनराशि का आहरण एव व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
4. व्यय करते समय मितव्ययिता के सबध में समय–समय पर जारी शासनादेशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में वेतनादि मदों के अतिरिक्त शेष मदो मे मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिये तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तदनुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष मे बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित करें।

5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–01 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

6. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

7. नये पदों के सृजन/ढाचे, नयी नीति निर्धारण अथवा वर्तमान नीति में संशोधन, करों/यूजर चार्जेज में संशोधन, निधियों का गठन, अनुदान राशि में संशोधन, नियमावलिया आदि सभी प्रकरण शासन को भेजे जाये ताकि वित्त विभाग के परामर्श से अनुमोदन दिया जा सके।

8. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मांग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

9. सुनिश्चित किया जायेगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिये जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गयी सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

10. मजदूरी तथा व्यवसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित ईकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तार्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, अन्य जो भी व्यय हो के अन्तर्गत ही रहेगी।

2–उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त के शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012, दिनाँक 19–06–2012 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)
अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार)।

संख्या–760(1)/XV-2/01(01)/2006तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मंत्री, दुग्ध विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु ।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास को प्रमुख सचिव महोदय को अवगतार्थ।
5. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड ।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।